

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक: 09 JAN 2018

समस्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं,
राजस्थान सचिवालय सेवा,
राजस्थान, जयपुर।


नोटिस

मैं आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र क्रमांक पं. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 जयपुर, दिनांक 27.12.2017 की ओर आकर्षित कर लेख है कि समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा भरने के संबंध में परिपत्र जारी किया था।

सभी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017 (01 जनवरी 2018 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण व उसके पश्चातवर्ती वर्षों का अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है। IPR MODULE में भरने की समय सीमा 31 जनवरी है। 31 जनवरी पश्चात IPR MODULE पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेगे। टंकित/हस्तलिखित/हार्डकॉपी अचल सम्पत्ति विवरण स्वीकार योग्य नहीं है।


अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति विवरण उपयुक्त ऑन-लाईन समय सीमा में नहीं भरेगे तो उनको आगामी वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।

उक्त नोटिस की आवश्यक रूप से पालना की जावे।


(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, राजस्थान प्रशासनिक सेवा।
2. अध्यक्ष, राजस्थान सचिवालय अधिकारी सेवा।
3. अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय निजी सहायक, निजी सचिव सेवा।


संयुक्त शासन सचिव